कार्यालय मध्यस्थ अधिकारी एवं संभागीय आयुक्त, जयपुर।
प्रार्थना पत्र सख्याः–10/17 (आरसीएमएस नं. 2017/00035)

1. रिछपाल दत्त पुत्र श्री श्यामा
2. राजेन्द्र सिंह पुत्र री सुरजाराम,
3. श्रीमती भगवती बेवा श्री सुरजाराम समस्त जाति जाट निवासी ढाणी बेनीवालों की वार्ड नम्बर 6, रींगस, तहसील श्रीमाधोपुर, जिला सीकर, राजस्थान।

––प्रार्थीगण

बनाम

1. भारत संघ जरिये रेल मंत्रालय, रेलवे भवन, नई दिल्ली।
2. चीफ प्रोजेक्ट मैनेजर विशेष रेल परियोजना, वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कोरीडोर, जयपुर।
3. निदेशक, डेडिकेटेड फ्रेट कोरीडोर कॉरपोरेशन ऑफ इण्डिया लि, पांचवा तल, प्रगति मैदान मैट्रो स्टेशन कॉम्पलैक्स, नई दिल्ली–110001
4. भूमि अवाप्ति अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर जिला सीकर।

––अप्रार्थीगण

निर्णय

दिनांकः 08.05.2019

प्रार्थीगण द्वारा यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 20(एफ) (6) रेलवे अधिनियम 1989 विरूद्ध अभिनिर्णय दिनांक 26.12.2016 पेश किया गया।

अधिवक्ता प्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र के तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया है कि प्रार्थीगण की भूमि खसरा नम्बर 2238 लगायत 2245, खसरा नम्बर 2248, खसरा नम्बर 2281 एवं खसरा नम्बर 2282 की कुल 1.4604 हैक्टयर भूमि तन ग्राम रींगस पटवार हल्का रींगस, तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर को अवाप्त किया गया है जिसमें प्रार्थीगण की अविभाजित 2/5 भाग पर खातेदारी अधिकार कब्जे व काश्त की है तथा इस भूमि मे उनके आवास निवास हेतु पक्के मकानात, छान, छप्पर व नोहरा आदि बना हुआ है तथा इसमें काफी पेड़ लगे हुये है जिनकी उम्र करीब 20–25 की है। उन्होने आगे कथन किया है कि इस अवाप्त की गई भूमि में प्रार्थीका 2/5 हक हिस्सा अधिकार व काश्त है जो 0.7542 हैक्टयर भूमि होती है जिसकी प्रचलित बाजार दर से कीमत लगभग 80,00,000/–रूपये होती है, इस भूमि में काफी संख्या में लगभग 10 पेड़ लगे हुये है जिनकी कीमत लगभग 1,00,000/– रूपये है, इसके अतिरिक्त 500 वर्गमीटर में पक्के मकानात बने हुये है जिनकी अनमानित कीमत 40,00,000/–रूपये होती है, पशुओं का पक्का नोहरा

1,68,00,000/–रूपये बतौर क्षतिपूर्ति राशि के प्राप्त करने के अधिकारी है एवं नवीन अधिनियम 2013 के अनुसार भी क्षतिपूर्ति एवं राजकीय सेवा में नियुक्ति पाने के अधिकारी है लेकिन भूमि अवाप्ति अधिकारी ने मुआवजा राशि का आंकलन करते समय उक्त सभी बातों पर कोई ध्यान नही रखा है।

अधिवक्ता प्रार्थी ने कथन किया है कि अप्रार्थीगण के अधिकारियों द्वारा संयुक्त सर्वेक्षण माप जो किया गया है वो भी सही नही है व न ही मौके की वस्तुस्थिति के अनुसार है, इस कारण से मुआवजा राशि तय करने के लिये उक्त सर्वेक्षण माप को जो आधार बनाया गया है वो गलत है, भूमि अवाप्ति अधिकारी व अप्रार्थीगण के अधिकारियों ने इस बात की अनदेखी की है कि खसरा नम्बर 2240 में केवल मात्र प्रार्थीगण के हक व अधिकार का पक्का मकान नोहरे आदि जो बने हुये है उनके भूमि अवाप्ति के कारण हुई क्षति का कोई आंकलन भूमि अवाप्ति अधिकारी द्वारा नही किया गया है, जो प्रार्थीगण पाने के अधिकारी है, भूमि अवाप्ति अधिकारी के आक्षेपित निर्णय दिनांक 26.12.2016 में जो बिरजी का हिस्सा पक्के मकानात में बताया है वो सरासर राजस्व रिकार्ड व मौके की स्थिति के विपरित है जबकि बिरजी का मकान खसरा नम्बर 2241 में है, पक्के मकानात केवल मात्र प्रार्थीगण के हक व अधिकार की भूमि में ही स्थिति है, इसलिये आक्षेपित आदेश दिनांक 26.12.2016 में जो बिरजी का नाम दर्शाया गया है, वो गलत है उसे दुरूस्त कर प्रार्थीगण के हक में उपरोक्तानुसार मुआवजा राशि दिलवाया जाना न्यायोचित होगा। उन्होनें कथन किया है कि भूमि अवाप्ति अधिकारी ने मुआवजा राशि का आंकलन करते समय उक्त सभी बातों का कोई ध्यान नही रखा है तथा भूमि का मुआवजा सिंचित भूमि व मुख्य सड़क के पास के हिसाब से 28,12,329/–रूपये प्रति हैक्टयर के हिसाब से दिलाये जानी चाहिये थी जो नही दिलाई है साथ ही इस भूमि में आवासीय मकान 500 वर्गमीटर में बना हुआ है, पशुओं का नोहरा, जो पेड़ो का नुकसान, बेदखली के कारण परिवर्तन से नुकसान व मानसिक क्षति आदि के मद में कोई मुआवजा नही दिलाया है जो भी प्रार्थीगण प्राप्त करने के अधिकारी है, प्रार्थीगण ने भूमि अवाप्ति अधिकारी के समक्ष अपनी यह सब आपत्तियॉ व निवेदन व प्रमाण प्रस्तुत किये थे परन्तु भूमि अवाप्ति अधिकारी ने इन सब बातों पर कोई गौर न करके बहुत कम मुआवजा राशि का निर्धारिण किया, जो गलत है। अतः प्रार्थीगण की भूमि का मुआवजा प्रार्थीगण को उक्तानुसार तय कर दिलाया जायें।

अधिवक्ता अप्रार्थी ने प्रार्थना पत्र के तथ्यों को अस्वीकार करते हुए कथन किया है कि प्रार्थी ने न्यायालय श्रीमान् के समक्ष आवेदन पत्र अन्तर्गत धारा 20(एफ)(6) रेलवे अधिनिमय 1989 विरूद्ध अभिनिर्णय दिनांक 26.12.2006 प्रस्तुत किया है जबकि रेलवे अधिनियम के उक्त धारा निम्न प्रकार है कि:–

on an application by either of the parties, be determined by the arbitrator to be appointed by the Central Government in such manner as may be prescribed."

अधिवक्ता अप्रार्थी ने कथन किया है कि प्रार्थीगण ने आवेदन पत्र गलत तथ्यों के आधार पर प्रस्तुत किया है एवं प्रार्थीगण स्वच्छ हाथों से न्यायालय श्रीमान् के समक्ष नही आये है, प्रार्थीगण ने मुआवजा राशि अप्रार्थीगण से पूर्व में ही जरिये चैक प्राप्त की जा चुकी है, इस प्रकार जब प्रार्थीगण ने निर्धारित रकम स्वीकार कर चैक प्राप्त कर लिया है एवं निर्धारित राशि का स्वीकार ही कर लिया है तो अब कोई आरबीट्रेबल डिस्प्यूट शेष नही रहता है। इस करण प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र सरसरी तौर पर खारिज किये जाने योग्य है। अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र खारिज योग्य होने से खारिज फरमाया जावें।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली के अवलोकन से जाहिर होता है कि भूमि अवाप्ति अधिकारी द्वारा धारा का.आ. 44 20ए की अधिसूचना दिनांक 04.02. 2015 से तीन वर्ष में किये गये विक्रय विलेखों के औसत का 50 प्रतिशत का अधिकतम मूल्य एवं डी.एल.सी.दरों का विश्लेषण कर भूमि अधिग्रहण पुर्नवास एवं पुर्नस्थापन अधिनियम 2013 के आधार पर मुआवजे का निर्धारण किया गया है जिसकी मुआवजा राशि प्रार्थीगण द्वारा जरिये चैक प्राप्त भी कर लिया जा चुका है, ऐसे में जब प्रार्थीगण द्वारा अपनी सहमति से मुआवजा राशि का भगुतान जरिये चैक प्राप्त ही कर लिये गया है तो फिर उन्हे मुआवजे राशि निर्धारण के सम्बन्ध में किसी प्रकार के उज्रात करने के अधिकार कानूनन प्रदत्त नही होते है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र आरबीट्रेशन कारण खारिज किया जाता है।

(के0सी0वर्मा)
आरबीट्रेटर
संभागीय आयुक्त,
जयपुर।

निर्णय आज दिनांक 08.05.2019 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

संभागीय आयुक्त,
जयपुर।